न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी– अतुल प्रकाश, आई0ए0एस0 (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 6/19

RCMS id : 2019/00010

मास्टर पाल सिंह पुत्र चिरंजीलाल, जाति जाटव, निवासी स्वागत कोलोनी, बालिता रोड, कुन्हाडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादी)

बनाम

1. सुग्रीम पुत्र माधो, जाति बागरी, निवासी ग्राम गलाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा

– (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थिति : 1. श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल, वादी अभिभाषक
2. श्री मनोज तिवारी, प्रतिवादी अभिभाषक

स्वयं उपस्थित

निर्णय **Date : 26-02-2020**

1. यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।
2. वादी द्वारा अपना वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–
   - ग्राम गलाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 895/401 रकबा 0.14 हैक्टर स्थित है।
   - उरोक्त आराजी देवीशंकर पुत्र कन्हैयालाल के खाते की थी। देवीशंकर ने यह आराजी प्रतिवादी क्रम–1 सुग्रीम को जर्ये ररजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दी और नामान्तरकरण संख्या 908 दिनांक 06.02.2013 के तहत आराजी प्रतिवादी क्रम–1 के खाते दर्ज कर दी।
   - प्रतिवादी क्रम–1 सुग्रीम ने उक्त 0.14 हैक्टर आराजी में 0.07 हैक्टर आराजी अर्थात 1/2 भाग दक्षिण दिशा की तरफ का वादी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर बेचान कर कब्जा दे दिया एवं विक्रय पत्र के आधार पर वादी के हक में नामान्तरकरण संख्या 942 दिनांक 04.10.2013 तस्दीक कर दिया।
   - आराजी खसरा नम्बर 805/401 की 0.14 हैक्टर के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में 1/2 हिस्से वादी एवं 1/2 हिस्से प्रतिवादी क्रम–1 के नाम दर्ज है। उक्त आराजी शामलाती खाते में दर्ज होने से अनावश्यक रूप से विवाद होता है एवं आराजी के विकास में बाधा आती है इसलिये वादी अपने हिस्से की 1/2 भाग आराजी (दक्षिण दिशा) की पृथक खाते दर्ज कराने का अधिकारी है।
   - वादी ने प्रतिवादी से कई बार अपना अपना 1/2 हिस्सा अलग करवाकर पृथक खाते दर्ज करवाने के लिये कहा परन्तु प्रतिवादी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस बारे में

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी से अन्तिम बार दिनांक 02.01.2019 को कहने पर व प्रतिवादी द्वारा कोई सुनवाई नहीं करने पर दिनांक 02.01.2019 को वाद कारण उत्पन्न हुआ।

- वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। प्रतिवादी नं. 2 आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है।
- अत : वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम गलाना, पटवार हल्का गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 895/401 की 0.14 हैक्टर आराजी में से वादी का 1/2 हिस्सा (दक्षिण दिशा) पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कर डिक्री जारी की जावे।
- वादी द्वारा अपने कथन के सम्बन्ध में विवादित आराजी की नकल जमाबन्दी संवत 2067–2070 पेश की गई है।

3. न्यायालय में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम–1 की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी ने वाद पत्र के कथनों को स्वीकार करते हुये निवेदन किया वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुसार वादी का 1/2 हिस्सा (दक्षिण दिशा) पृथक खाते दर्ज कर मुताबिक प्रार्थना डिक्री फरमा दिया जावे।

4. प्रकरण में वादपत्र एवं जवाब दावा के कथनों में विवादित बिन्दु नहीं होने तथा प्रतिवादी द्वारा वादपत्र क समस्त कथनों को स्वीकार किये जाने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं किये गये। वादी अभिभाषक द्वारा उनके वाद पत्र के कथनों तथा प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा जवाब दावा के कथनों को ही साक्ष्य माना जाकर अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया। तदुपरान्त उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा वादपत्र क कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उनके द्वारा विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा क्रय किया गया है। उक्त आराजी शामलाती खाते में होने से वादी अपने हिस्से की आराजी का विकास नहीं कर पा रहा है तथा लगान जमा करने, ऋण आदि प्राप्त करने सम्बन्धी कार्यो में परेशानी का सामना करना पडता है। वादी द्वारा विवादित आराजी में दक्षिण दिशा का 1/2 हिस्सा क्रय किया गया है। अतः वादी का 1/2 हिस्सा पृथक किये जाने के आदेश प्रदान करावें। प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में जवाब दावा क कथनानुसार निवेदन किया कि प्रतिवादी क्रम–1 द्वारा वादी को विवादित आराजी में से दक्षिण दिशा का 1/2 हिस्सा विक्रय कर दिया है तथा वादी का 1/2 हिस्सा, दक्षिण दिशा का, पृथक किया जाता है तो उसमें प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

5. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। वादी की ओर से पेश नकल जमाबन्दी, प्रपत्र पी–26(बी), संवत 2067–2070 मे विवादित आराजी के खातेदार का नाम देवीशंकर पुत्र कन्हैयालाल दर्ज है, इसके कॉलम 11–12 में नामान्तरकरण संख्या 908 दिनांक 06.02.2013 से प्रतिवादी क्रम–1 द्वारा सम्पूर्ण आराजी क्रय किये जाने तथा नामान्तरकरण संख्या 942 दिनांक 05.10.2013 से 1/2 हिस्सा (दक्षिण दिशा) क्रय किये जाने का नोट अंकित है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादी एवं प्रतिवादी (प्रत्येक) का 1/2, 1/2 हिस्सा दर्ज हो गया है, जिसमें वादी के खाते दखिण दिशा का 1/2 हिस्सा दर्ज है। प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा वाद पत्र पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम गलाना, पटवार हल्का गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 895/401

Scanned by CamScanner

एकबा 0.14 हैक्टर को वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज हिस्से के अनुसार दक्षिण दिशा का 1/2 हिस्सा वादी के खाते तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी के खाते पृथक पृथक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को निर्णयानुसार पालना किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

6. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26 फरवरी, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश) I.A.S. (P)
सहायक कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner

फाईनल डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी – अतुल प्रकाश, I.A.S. (P.)

बउनवान :–

मास्टर पाल सिंह पुत्र चिरंजीलाल, जाति जाटव, निवासी स्वागत कोलोनी, बालिता रोड, कुन्हाडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादी)

बनाम

1. सुग्रीम पुत्र माधो, जाति बागरी, निवासी ग्राम गलाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा

– (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 53 RTA
मुकदमा नम्बर : 6/19
निर्णय दिनांक : 26-02-2020

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल तथा प्रतिवादी अभिभाषक श्री मनोज तिवारी की उपस्थिति में (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष आज तारीख 26–02–2020 को अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम गलाना, पटवार हल्का गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 895/401 रकबा 0.14 हैक्टर में दक्षिण दिशा का 1/2 हिस्सा वादी के खाते तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी के खाते पृथक पृथक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को निर्णयानुसार पालना किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को निर्णयानुसार पालना किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 26 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर सरे इजलास जारी की गई।

(अतुल प्रकाश) I.A.S. (P)
सहायक कलक्टर, कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		

Scanned by CamScanner